

न्यायालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार, गडरारोड

पत्रावली प्रकरण सं.

अन्तर्गत धारा 91 आर. एल. आर. एक्ट 1956

पत्रावली

बनाम

गैर सायल

राजस्थान सरकार

श्री शमसिंह

पुत्र श्री शंभू सिंह

पटवारी हल्का

कौम शमभूत

निवासी शहदासका पुर

तहसील गडरारोड जिला बाड़मेर

सै. ६०.

"निर्णय"

दिनांक 13/04/18

पत्रावली आज बमुकाम..... में पेश हुई गैर सायल उपस्थिति। पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तबय इस प्रकार है कि पटवारी हल्का..... ने धारा आर. एल. आर. एक्ट 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है। कि गै. सा. ने नौका..... के खस्ता नं. ६५१ रकबा..... में से ०'०५ बीघा किस्म..... राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण काइत/कब्जा किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल को विरुद्ध धारा 91 आर. एल. आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस को सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तालिल हल्का प्राप्त हुआ / और गैर सायल ने उपस्थित होकर पटवारी की रिपोर्ट अनुसार अतिक्रमण करना स्वीकार किया।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैर सायल को अतिक्रमण रोकित किया जाकर उक्त विवादस्थ भूमि पर से बेदखल करने को आदेश पारित किये जाते हैं तथा ही आर्थिक समान रूप से रुपये.....पैसा गुणा जुर्माना राशि रुपये.....पूराकि में ५० रुपये ५५५५ अक्षरे व..... मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से धूमिल हो निरीक्षक भू.अ. वृत १५६ को आदेशित किया जाता है कि वह मौके पर खाई पसल को तत्वाल रखना चाहिए सत्कार प्राप्त कर फसल मिला ही फर्द वास्ते अनुमादनार्थ एडम स्वीकृति हेतु 15 योग में पेश की पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह गैर सायल को भौतिक रूप से बेदखल कर भूमि का कब्जा ब्रोक कर तलब प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक रूप से एक माह में पेश करें।

टी.आर. पटवारी हल्का, निरीक्षक भू.अ. आदेश से सुचित हो तथा पत्रावली टी.आर. ए. के पास मांग कावमी हेतु पेशी जावे

निर्णय दिनांक 13/04/18 का सरेआम सुनाया गया।

जुर्माना ५० फसल नि.
कुल योग ५० रजि.के पृष्ठ सं. ०३
वर्ष २०१८-१९ में इन्द्राज किया गया।

तहसील रजिस्टर लेखाकार

तहसीलदार गडरारोड
जिला-बाड़मेर

तहसीलदार
गडरारोड